

बनाम दलीप सिंह नं. 2/28/18 सन्.


हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए


23-3-18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी सं० 1 को आगामी तिथि 07.06.2018 तक जर्जे एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख० नं० 1766 रकबा 0.60 हैक्ट० का 8/15 हिस्सा व ख० नं० 1718 रकबा 0.95 हैक्ट० का 15/95 हिस्सा वाके ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जर्जे रजि० ए०डी० तलबी से तलब कर दिनांक 07.06.2018 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज


2/28/2018
पूरा सिद्ध/दलीप

 LT 1
दलीप सिंह

7-5
18.

यथापली कंसा कोसि ज्वाय अगपके
द्वारे 2018 गणव. मिलकपुर में पेश
हुय। इन्काय पक्षी इण। मुलकाय
NOT सिद्ध, मे खरारिज हो चुक हें।
अतः उरुअर रजि 212 श्री NOT
सिद्ध मे खरारिज किया जाय है।
उरुअर सिवाय शुमार होकर करारिज
हयवर हो।

उमाशिव
रजि 18.
दलीप
सरपंच
ग्राम पंचायत मिलकपुर
पं० सं० रामगढ़ (अलवर)


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)